



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939

No. 526]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 23 जून, 2017

सं. फेमा. 23(आर)/(1)/2017-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2017

सा.का.नि. 635(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी] में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।
- वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 6 में संशोधन.—

उप-विनियम (सी) में “अर्थात ईडीएफ़ तथा सॉफ्टेक्स” शब्दों के बाद “तथा शिपिंग बिल की एक्सचेंज कंट्रोल प्रतियां” शब्दों को हटा दिया गया है।

[फा. सं. 1/31/ईएम/2015]

ज्योति कुमार पांडे, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

मूल विनियमावली 12 जनवरी, 2016 को भारत सरकार के सरकारी राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 19(अ) के तहत प्रकाशित की गयी थी।

RESERVE BANK OF INDIA**(Foreign Exchange Department)**

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd June, 2017

No. FEMA 23(R)/(1)/2017-RB**Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2017**

G.S.R. 635(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 7 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015-RB dated January 12, 2016], namely:—

1. Short title and commencement.—

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) (Amendment) Regulations, 2017.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulation 6.—

In sub-regulation (C), after the words, “viz. EDF and SOFTEX”, the words “and Exchange Control copies of the shipping bills” shall be deleted.

[F. No. 1/31/EM/2015]

JYOTI KUMAR PANDEY, Chief General Manager

Foot Note:—

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 19(E), dated January 12, 2016 in Part II, Section 3, sub-Section (i).